



केमाशिबो-शैक्षणिक/परिपत्र/2018

दिनांक: 13 अगस्त 2018
परिपत्र सं. शैक्षणिक 25/2018

केमाशिबो से संबद्ध सभी संस्थानों के प्रमुख

विषय: पाठ्यचर्या भार के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ), 2005 में दिये गये प्रावधानों का पालन करना -

- संदर्भ: (i) परिपत्र सं. 31/2004, दिनांक 15 सितंबर 2004
(ii) परिपत्र सं. 21/2007, दिनांक 17 अप्रैल, 2007
(iii) परिपत्र सं. 35/2016, दिनांक 12 सितंबर 2016

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (केमाशिबो) ने पूर्व में परिपत्र सं. 31/2004, दिनांक 15 सितंबर 2004 जारी किया था, तथा परिपत्र सं. 35/2016, दिनांक 12 सितंबर 2016 के अनुसार कक्षा 1-2 के छात्रों को कोई गृहकार्य नहीं दिया जाना चाहिए। केमाशिबो संबद्धता उप कानून 3.3 (सी)-सी के अनुसार, केमाशिबो संबद्ध विद्यालयों को बोर्ड परामर्शिका का पालन करते हुए यह तय करना होगा कि कक्षा - 2 तक के छात्र विद्यालय में न तो बैग लेकर जाए और न ही उन्हें गृहकार्य दिया जाए।

मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में WP संख्या के माध्यम से 25680/2017 और WMP सं. 9267/2018, दिनांक 29 मई 2018, स्कूल पुनः यह सुनिश्चित करे कि कक्षा 1-2 में कोई गृहकार्य नहीं दिया जाता है। मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के अगले निर्देशानुसार, पुनः यह बताया गया कि चूंकि एनसीईआरटी कक्षा 1- 8 के लिए शैक्षणिक प्राधिकरण है, सभी विद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि केमाशिबो के परिपत्र सं. 21/2007, दिनांक 17 अप्रैल, 2007 के अनुसार छात्रों के बैग के बोझ और गृहकार्य को कम करने का सावधानीपूर्वक पालन किया गया (परिपत्र संलग्न)।

ह.

(डॉ. जोसफ इमानुवल)
निदेशक (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि निम्नलिखित निदेशालय/केवीएस/एनवीएस/सीटीएसए के संबंधित प्रमुखों को एवं उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त संबंधित स्कूलों में जानकारी का प्रसार करने हेतु :-

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054
4. लोक शिक्षण निदेशक (स्कूल), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर-791111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर-744101
8. अवरसचिव, (ई ई-1), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, एस ई एंड एल विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
9. शिक्षा निदेशक, एस.आई.ई. सीबीएसई सेल, वीआईपी रोड, जंगलीघाट, पी.ओ- 744103, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
10. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3 रोहिणी, दिल्ली
11. अतिरिक्त महानिदेशक सेना शिक्षा, ए-विंग, सेनाभवन, डीएचक्यू, पीओ, नईदिल्ली - 110001
12. सचिवआर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी रक्षा मंत्रालय (आर्मी) एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नं 2)2, शंकर विहार (निकट एपीएस) दिल्ली कैंट - 110010
13. केमाशिबो के सभी क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में, बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को इस परिपत्र को भेज दें
14. सी ओ ई, केमाशिबो के सभी प्रमुख व इंचार्ज।
15. के.मा.शि.बो के सभी संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ सहायक सचिव
16. आई.टी. प्रभारी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को केमाशिबो की वेबसाइट पर डाल दें
17. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, केमाशिबो
18. अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव, केमाशिबो
19. सचिव, परीक्षा नियंत्रक, निदेशक (सूचना तकनीकी), निदेशक (विशेष परीक्षा और सी टी ई टी), निदेशक (एडुसेट और अनुसंधान), निदेशक (कौशल शिक्षा व प्रशिक्षण), केमाशिबो

ह./-
संयुक्त सचिव (शैक्षणिक)





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
दिल्ली

सी एम/ई ओ/07/

परिपत्र सं. 21/2007

17 अप्रैल, 2007

केमाशिबो से संबद्ध सभी संस्थानों के प्रमुख

विषय: बच्चों पर बैग के बोझ को कम करना

प्रिय प्रधानाचार्य,

कृपया बोर्ड के परिपत्र सं. 07/2006, दिनांक 4 मई, 2006 का संदर्भ ग्रहण करते हुए विद्यालयों का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बच्चों के बैग

जिसमें स्कूलों का ध्यान रखा गया बोर्ड से संबद्ध बच्चों को बैग लोड को कम करने की आवश्यकता के लिए तैयार किया गया ताकि उन्हें उपलब्ध कराया जा सके अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त जगह और समय। सीखने की प्रक्रिया के लिए सुखद बनाने का महत्व बच्चों को निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की संख्या को सीमित करके और शिक्षार्थियों पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करके, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन जैसे अन्य उपायों के अलावा और नरम विषयों पर जोर देना नृत्य, संगीत, ललित कला इत्यादि बोर्ड द्वारा स्कूलों पर भी प्रभावित हुए हैं। बच्चों पर पाठ्यचर्या भार को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने नया तैयार किया है नेशनल पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क - 2005 के आधार पर विभिन्न विषयों और कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक। नया 2006-07 में कक्षा 1, III, VI, IX और XI में पाठ्यपुस्तकों की शुरुआत की गई है और कक्षा II, IV, VII, X और XII में वर्तमान शैक्षिक वर्ष यानी 2007-08 के दौरान। कक्षा 5वीं और आठवीं कक्षाओं के लिए पुरानी पाठ्यपुस्तक जारी रहेगी वर्तमान शैक्षिक वर्ष और नई किताबें 2008-09 में लागू की जाएंगी। के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की सूची कक्षाओं I-VIII को स्कूलों के मार्गदर्शन के लिए नीचे दिया गया है और इसे निर्णय लेने के लिए मानक के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए इन वर्गों के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की संख्या:

